प्रशान्त कुमार
आई0पी0एस0

डीजी–परिपत्र संख्या–27/2024

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।
मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
सिग्नेचर बिल्डिंग, लखनऊ।
दिनांक– जून, 19 2024, लखनऊ

विषय– Hon. High Court Juvenile Justice & POCSO Committee (HCJJC) द्वारा दिनांक 14.05.2024 को किशोर न्याय (बालकों की देखरेख व संरक्षण) अधिनियम, 2015 के प्रावधानों को लागू करने हेतु HCJJC द्वारा अनुमोदित नरेटिव के अनुपालन हेतु दिशानिर्देश।

प्रिय महोदय/महोदया,

जैसा कि विदित है कि भारत की प्रगति में बच्चों की भूमिका अतुल्य है, ऐसी दशा में समाज व सरकार के साथ पुलिस विभाग के लिए भी यह आवश्यक है कि वर्तमान में किशोरो के सर्वांगीण विकास हेतु संतुलित वातावरण तैयार किया जाय।

डीजी परिपत्र सं0 19/2023, दि0–15.06.2023
डीजी परिपत्र सं0 37/2021, दि0–28.09.2021
डीजी परिपत्र सं0 35/2016, दि0–10.06.2016

यद्यपि प्रत्येक आपराधिक प्रकरण में पुलिस प्रथम प्रतिक्रियादाता (First Responder) के रूप में प्रायः खड़ी रहती है, अतः पुलिस विभाग, किशोरों से जुडे हुए मामलो में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से अधिक संवेदनशील होकर महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। विगत कुछ वर्षो में बाल संरक्षण संबंधी कानूनों में आमूल चूल परिवर्तन हुए हैं जिनमें किशोर न्याय (बालकों की देखरेख व संरक्षण) अधि0 2015 व पॉक्सो अधि0 2012 सबसे अहम हैं। इनमें किशोरों के सम्बन्ध में कतिपय मूलभूत सिद्धांत प्रतिपादित किये गये हैं, जिनका पुलिस की कार्यपद्धति में पूर्ण रूप से शामिल करने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को समय समय पर अवगत कराना आवश्यक होता है। इसी उद्देश्य से इस मुख्यालय द्वारा समय–समय पर विभिन्न परिपत्र निर्गत किये गये हैं, जिनका उल्लेख पार्श्वांकित बाक्स में अंकित किया गया है।

इसी क्रम में मा0 उच्च न्यायालय किशोर न्याय एवं पॉक्सो समिति द्वारा दिनांक 14.05.2024 को पारित किये गये प्रस्ताव में किशोर न्याय अधि0 2015 के अन्तर्गत कानून के उल्लंघन करने वाले बच्चों के प्रकरणों में उनके आयु निर्धारण, ऐसे अवयस्कों को वयस्क जेलों में निरूद्ध न किये जाने तथा किशोर की घोषणा करने हेतु निर्धारित अवधि में जे0जे0बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के सम्बंध में अनुपालनार्थ दिशा–निर्देश निर्गत किये हैं जिसका प्रभावी अंश निम्नवत् है–

I) **Matter regarding exposure of children to Adult Courts And placement in adult jails**

Resolution passed by the Hon'ble Juvenile and POCSO Committee:-

" It is recommended that police should ensure that no child is exposed to adult jail and adult criminal justice system.

Therefore, DGP,UP. is requested to issue a circular in this regard to all concerned to ensure that if a person appears to be below 18 years of age or if any valid documentary evidence relating to the age denoting the person to be under 18 years of age is presented, then such person be produced before the JJB.

Besides, corresponding sensitization and training of the members of the SJPU or local police with regard to duty of the police to produce the person appearing to be below 18 years of age before the JJB be also conducted by the concerned authority."

II. Matter regarding timely completion of the process of age determination or juvenile declaration of children by the JJBs under the JJ Act, 2015-

Resolution passed by the Hon'ble Juvenile Justice & POCSO Committee

"The Committee is of the view that the timeframe laid down by the Hon'ble Delhi High Court in CRLREF. 1/2020 Court on its Oven Motion Vs State, for completing the process of age determination of a child under the JJ Act, 2015, should also be followed by the JJBs of the State of U.P. In this view of the matter, following directions are being issued for meticulous compliance by all concerned: -

i) Regardless of the nature of offences alleged against a child, upon directions issued by the Board on the date of first production of the child before it, the Investigating Officer of the case shall collect and file before the Board, requisite documents towards age-proof of the child within 15 days from the date of issuance of such directions;

ii) Similarly, regardless of the nature of offences alleged against a child, upon directions issued by the Board after production of the child before it, the Investigating Officer of the case shall ensure that the ossification test in relation to child is completed, a report is obtained and filed before the Board within 15 days from the date the ossification test is ordered by the Board;

iii) Regardless of the nature of offences alleged against a child, the Board shall ensure that the process of age-determination of the child is completed within 15 days from the filing of documents relating to proof of age or ossification test report by the Investigating Officer, as the case may be;

iv)All persons / educational institutions / medical institutions / governmental authorities to whom a request is made by the Investigating Officer for providing documents towards age-proof or for conducting ossification test on a child, are directed to give priority to such request and further undertake necessary procedures and processes to enable compliance with the time-lines set-out above.

Presenting Officer, HCJJC is directed to intimate DGP, U.P for issuance of a circular to the C.P/S.S.P./S.P. of all the districts for ensuring that the directions at point (i) and (ii) above be complied by all the police stations within the stipulated time frame."

उपरोक्त के क्रम में उक्त विषयक आवश्यक दिशानिर्देश इस मुख्यालय के माध्यम से क्रमानुक्रम अनुपालनार्थ निम्नवत् निर्गत किये जा रहे हैं–

1– किशोरों को वयस्कों की जेलों तथा नियमित वयस्क न्यायालयों में प्रस्तुत न करने के संबंध में–

- प्रत्येक थाना/पुलिस द्वारा किसी भी दशा में कानून का उल्लंघन करने वाले किसी भी अवयस्क (18 वर्ष से कम आयु के बालक) को वयस्क जेलों में नहीं भेजा जायेगा और न ही ऐसे बालक को क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अन्तर्गत नियमित वयस्क न्यायालयों का सामना करने के लिए प्रस्तुत किया जाय।
- यदि कोई व्यक्ति 18 वर्ष से कम आयु का प्रतीत होता है अथवा उस व्यक्ति की आयु 18 वर्ष से कम होने का संकेत देने वाला आयु से संबंधित कोई वैध दस्तावेजी साक्ष्य/प्रमाण–पत्र (धारा 94, किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अनुसार) प्रस्तुत किया जाता है जिससे उसके अवयस्क होने की पुष्टि होती हो, तो ऐसे व्यक्ति/बालक को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष ही प्रस्तुत किया जाय।
- ऐसे 18 वर्ष से कम आयु के किशोरों को जे0जे0 बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने की पुलिस की ड्यूटी के सम्बन्ध में स्थानीय पुलिस बल, बाल कल्याण पुलिस अधिकारी/विशेष किशोर पुलिस ईकाई (SJPU) के सदस्यों को जागरूक व संवेदित करने हेतु सम्बंधित प्राधिकारी द्वारा समय समय पर प्रशिक्षण का कार्यक्रम आयोजित किया जाय।

2– किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसार किशोर न्याय बोर्ड द्वारा बच्चों के आयु निर्धारण अथवा नाबालिग घोषित करने की प्रक्रिया समय से पूरी करने के संबंध में–

जैसा कि उक्त के क्रम में मा0 उच्च न्यायालय किशोर न्याय एवं पॉक्सो समिति द्वारा ऐसे बच्चों के आयु निर्धारण की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए मा0 दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय CRL.REF. 1/2020 Court on its own Motion Vs State, में निर्धारित किये गये समय सीमा को उत्तर प्रदेश राज्य के जे0जे0बोर्ड द्वारा भी पालन किये जाने का प्रस्ताव व्यक्त करते हुए अनुपालन की अपेक्षा की गई है। अतएव मा0 समिति की अपेक्षा के क्रम में निम्नवत् दिशानिर्देश निर्गत किये जाते हैं–

- किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पहली बार प्रस्तुत किये गये किशोर/अवयस्क द्वारा कारित अपराधों की प्रकृति पर ध्यान दिये बिना उसकी आयु निर्धारण हेतु प्रत्येक विवेचनाधिकारी बोर्ड द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुसार आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेगा तथा बोर्ड द्वारा ऐसे निर्गत निर्देश के 15 दिवस के भीतर आयु की पुष्टि करने वाले दस्तावेज बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करेगा।
- इसी प्रकार बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किये गये किशोर/अवयस्क द्वारा कारित अपराधों की प्रकृति पर ध्यान दिये बिना बोर्ड द्वारा निर्गत निर्देशों के क्रम में बच्चे की आयु निर्धारण हेतु विवेचनाधिकारी बच्चे का अस्थि जांच (Ossification test) पूर्ण

कराना सुनिश्चित करेगा तथा जांच रिपोर्ट स्वयं प्राप्त करेगा और बोर्ड द्वारा अस्थि जांच के लिए किये गये आदेश के 15 दिवस के अन्दर बोर्ड के समक्ष उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा।

- ऐसे बच्चे की आयु निर्धारण से संबंधी दस्तावेज अथवा अस्थि जांच सम्बन्धी परीक्षण आख्या किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष विवेचनाधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये जाने के 15 दिवस के भीतर बोर्ड द्वारा आयु निर्धारण की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाये।
- सभी व्यक्तियों/शैक्षिक संस्थानों/स्वास्थ्य संस्थानों व अन्य सम्बन्धित सरकारी संस्थानों को, जिनसे विवेचनाधिकारी द्वारा बच्चे की आयु निर्धारण हेतु आवश्यक दस्तावेज/प्रमाणपत्र या अस्थि जांच उपलब्ध कराने हेतु आवेदन किया गया है, उन्हें विवेचनाधिकारियों के आवेदनों को प्राथमिकता प्रदान करने तथा आवश्यक दस्तावेजों/प्रमाणपत्रों/जांच आख्याओं को विवेचनाधिकारियों को उपलब्ध कराने हेतु अपने स्तर से निर्देश निर्गत करना सुनिश्चित करें, जिससे आयु निर्धारण की प्रक्रिया उपरोक्त समयानुसार बोर्ड द्वारा पूर्ण की जा सके।

अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि मा0 उच्च न्यायालय किशोर न्याय एवं पाक्सो समिति, इलाहाबाद के द्वारा पारित प्रस्ताव (Resolution passed dated 14.05.2024) के क्रम में निर्गत इस परिपत्र एवं इस मुख्यालय द्वारा पूर्व में निर्गत निर्देशों/अन्य परिपत्रों का गहनता से अध्ययन कर लें एवं जनपद स्तर पर कार्यशाला का आयोजन कर अपने अधीनस्थ राजपत्रित अधिकारियों एवं विवेचकों को विस्तार से अवगत कराते हुए अपेक्षानुसार अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें, साथ ही सतत समीक्षा करते हुए अनुपालन में शिथिलता बरतने के दोषी कार्मिकों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने का भी कष्ट करें।

भवदीय

19.6.24

(प्रशान्त कुमार)

समस्त पुलिस आयुक्त/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक
प्रभारी जनपद/जी0आर0पी0, उ0प्र0।

प्रतिलिपि– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था/अपराध/महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन/तकनीकी सेवायें/राजकीय रेलवे पुलिस, उ0प्र0।
2. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
3. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।
4. पुलिस अधीक्षक, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो, उ0प्र0।